इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

## डिबेंचर ट्रस्टी

# निवेशक चार्टर - डिबेंचर ट्रस्टी (डीटीएस)

## 1. निवेशकों के लिए विजन एवं मिशन का विवरण

### विजन :

एक विश्वसनीय डिबेंचर ट्रस्टीशिप सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करना।

### मिशन :

- विनियामक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करके सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना ।
- स्पष्टतः परिभाषित आंतरिक प्रक्रियाओं एवं डोमेन विशेषज्ञों के माध्यम से उच्च स्तर की परिचालन क्षमता प्राप्त करना ।

## 2. डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण :

- ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्रलेखन की सुविधा प्रदान करना, समुचित सावधानी बरतना एवं समय पर प्रतिभूति निर्मित करना।
- जारीकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों का निर्माण सुनिश्चित करना तथा दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा सहित प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना।
- ब्याज के भुगतान/मूलधन के मोचन की निगरानी।
- सुरक्षा कवर एवं अन्य वित्तीय अनुबंधों की निगरानी करना।
- ट्रस्टी की वेबसाइट/क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों सहित/सेबी के जरिए खुलासा करके रेटिंग संशोधन/ब्याज/मोचन संबंधी सूचना का प्रसार करना ।
- निवेशकों की शिकायतों का ससमय एवं सटीक समाधान प्रदान करना।
- सुनिश्चित करना कि डिबेंचर को तदनुसार परिवर्तित या भुनाया गया है ।
- निर्गम/नियामक दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूति का प्रवर्तन।
- जारीकर्ता कंपनी के बोर्ड में एक नामित निदेशक की नियुक्ति ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सेबी विनियमों और जारीकर्ता कंपनी द्वारा डिबेंचर ट्रस्ट डीड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरतना।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

# डिबेंचर ट्रस्टी

## 3. प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए समय-सीमा से संबंधित मार्गदर्शन

| क्र.सं. | गतिविधि/सेवा के प्रकार | समय-सीमा (दिनों की संख्या) |
|---|---|---|
| 1. | **वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंजों पर डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन, जैसा लागू हो** | |
| निरंतर आधार पर | | |
| ए | ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग में संशोधन | 1 |
| बी | सूचीबद्ध इकाई द्वारा ब्याज/मूलधन के भुगतान की स्थिति | 1 |
| **तिमाही-वार** | | |
| ए | सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए संपत्ति कवर प्रमाणपत्र की निगरानी | 60 |
| बी | स्टॉक एक्सचेंज में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के मूल्य का विवरण | 60 |
| सी | स्टॉक एक्सचेंज को गारंटर का नेट वर्थ सर्टिफिकेट (एनसीडी के मामले में व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से सुरक्षित) | 60 |
| डी | सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रस्तुत तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की स्थिति | 60 |
| **छमाही-वार** | | |
| ए | डिबेंचर ट्रस्टी और उनके द्वारा संभाले गए डिबेंचर मुद्दों का विवरण तथा उनकी स्थिति | 60 |
| बी | यदि डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, तो प्रसंविदाओं/निर्गम की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जानकारी की स्थिति। | 60 |
| सी | डिफ़ॉल्ट मामलों सहित डिबेंचर ट्रस्टी (ओं) द्वारा प्राप्त शिकायतें | 60 |
| डी | असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए एसेट कवर सर्टिफिकेट की निगरानी [जैसा कि जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। | 60 |
| **वार्षिक आधार पर** | | |
| ए | गारंटर के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आदि के आधार पर निर्मित गारंटर की आर्थिक स्थिति/मूल्य (यदि नैगमिक प्रतिभूति एनसीडी के माध्यम से सुरक्षित हैं) | 75 |
| बी | अचल/चल सम्पत्तियों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट और टाइटल सर्च रिपोर्ट, यदि कोई हो तो | 75 |
| सी | डिबेंचर ट्रस्टी की देखरेख में बनाए गए खातों के रखरखाव की स्थिति | 75 |
| डी | सूचीबद्ध इकाई द्वारा किसी भी चूक के संबंध में जानकारी की स्थिति और डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा की गई कार्रवाई | 75 |
| ई | सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र | 75 |
| **2.** | **अन्य सेवाएँ/गतिविधियां** | |
| ए | निवेशक को डिबेंचर ट्रस्ट डीड की प्रति प्रदान करना | 7 |
| बी | डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा निवेशक की शिकायतों का निवारण | 30 |
| सी | रोलओवर, ऋण प्रतिभूतियों के मोचन आदि सहित ऋण प्रतिभूतियों से संदर्भित किसी परिवर्तन के मामले में डिबेंचर ट्रस्टियों द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस। | 15 |

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

# डिबेंचर ट्रस्टी

## 4. विशेष परिस्थितियों से संबंधित मार्गदर्शन

## अनुबंध का उल्लंघन और/या चूक की घटना

- डिबेंचर ट्रस्टी अनुबंधों के उल्लंघन या जारी करने की शर्तों और/या डिफ़ॉल्ट की स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाएंगे:
  - प्रतिज्ञापत्र या जारी शर्तों के उल्लंघन और/या डिफ़ॉल्ट की घटना के 3 दिनों के भीतर निवेशकों को नोटिस भेजना।
  - प्रतिज्ञापत्र या जारी शर्तों के उल्लंघन और/या डिफ़ॉल्ट की घटना के 30 दिनों के भीतर निवेशकों की बैठक आयोजित करना।
  - इंटर क्रेडिटर समझौते में प्रवेश करने के लिए या निवेशकों की बैठक में लिए फैसले के अनुसार प्रतिभूति लागू करना।

## 5. निवेशकों के अधिकार और दायित्व

## निवेशक के अधिकार - ........ का अधिकार

- डिबेंचर ट्रस्ट डीड का निरीक्षण करना, प्रचलित राज्य स्टाम्प कानूनों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्ट डीड और संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करना।
- सूचना प्राप्त करें
  - रोलओवर, मोचन आदि सहित ऋण प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी भी परिवर्तन की।
  - अनुबंधों के उल्लंघन और/या डिबेंचर न्यासियों से चूक की घटना।
  - समझौते या व्यवस्था के लिए, निवेशकों के अधिकारों में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के लिए और कंपनी और निवेशक(कों) के बीच किए जाने वाले प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए
- बकाया समय के लिए डिबेंचर के मूल्य में कम से कम 1/10वां हिस्सा रखने वाले निवेशकों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग पर डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक के लिए बुलावा।
- डिबेंचर ट्रस्टी के पास ब्याज और/या मूलधन आदि की प्राप्ति सहित उनकी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में शिकायत दर्ज करना।
- सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जारीकर्ताओं से जानकारी प्राप्त करें।

## निवेशक की बाध्यताएं - .......... के दायित्व के तहत

- निवेश निर्णय लेने से पहले सूचना ज्ञापन और डिबेंचर ट्रस्ट डीड को ध्यान से पढ़ें।
- बैंक विवरण, पता, पहले धारक की ईमेल आईडी, पैन आदि सहित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास हर समय अपडेटेड रिकॉर्ड रखें।
- पब्लिक डोमेन की सभी सूचनाओं जैसे डिबेंचर ट्रस्टी वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया बॉन्ड इंफो आदि और किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से समय-समय पर प्रदत्त जानकारी से खुद को अपडेट रखें।
- डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें।
- डिबेंचर ट्रस्टी के साथ सहयोग करें और डिबेंचर ट्रस्टी को जानकारी प्रदान करें ।
- डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा जारी पत्र/नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर स्पष्ट और विशिष्ट अधिकृत-पत्र द्वारा डिबेंचर ट्रस्टी के अनुरोधों/पत्रों/नोटिस का जवाब दें।

# डिबेंचर ट्रस्टी

6. शिकायत निवारण तंत्र का विवरण:

- निवेशक, अपना खेद/शिकायतों को दर्ज करने के लिए तथा किसी भी जानकारी के लिए समर्पित शिकायत ई-मेल आईडी एवं अन्य प्रासंगिक विवरण के लिए डिबेंचर ट्रस्टी की वेबसाइट पर जा सकता है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशक, डिबेंचर ट्रस्टी के शिकायत ई-मेल आईडी पर मेल कर सकता है या पत्र लिख सकता है या डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदान किए गए लिंक पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है।
- शिकायत दर्ज करते समय निवेशक के लिए निम्नलिखित का उल्लेख करना आवश्यक है:
    - शिकायत की प्रकृति
    - जारीकर्ता कंपनी का नाम
    - आईएसआईएन सहित होल्डिंग विवरण
    - डिबेंचर धारक का पूरा नाम
    - पैन
    - सही ई-मेल आईडी
- शिकायत प्राप्त होने पर, डिबेंचर ट्रस्टी विधिवत सत्यापन के बाद समय-सीमा के भीतर ई-मेल/पत्र के जरिए शिकायत के समाधान/निवारण की सूचना भेजेगा।
- यदि डिबेंचर ट्रस्टी को शिकायत को जारीकर्ता कंपनी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
- यदि निवेशक डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा शिकायत के निवारण/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो निवेशक सेबी शिकायत निवारण प्रणाली - (एससीओआरईएस) (https://scores.gov.in/) पर शिकायत दर्ज कर सकता है।